

मध्य प्रदेश शासन  
आयुष विभाग,  
वल्लभ भवन कमांक-3, चतुर्थ तल  
मंत्रालय भोपाल


// आदेश //

भोपाल, दिनांक ०४ / 07 / 2019

कमांक 2219 / 2286 / 2019 / 1 / 59, :: राज्य शासन एतद्वारा, डॉ.अभय कुमार जैन, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय ग्वालियर को दिनांक 07.08.2019 से 21.08.2019 तक इंग्लैंड (लंदन) की विदेश यात्रा हेतु अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करता है :-

- 1- विदेश यात्रा स्वयं के व्यय पर करेंगे तथा इस हेतु शासन से कोई अग्रिम राशि की मांग नहीं करेंगे।
- 2- विदेश जाने के पूर्व सक्षम स्तर से अवकाश स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
- 3- विदेश में बीमार पडने पर स्वयं के व्यय पर इलाज कराना होगा, राज्य शासन द्वारा किसी प्रकार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
- 4- विदेश यात्रा की अवधि में किसी नौकरी, साक्षात्कार, व्यवसाय आदि में भाग नहीं लेंगे।
- 5- विदेश यात्रा की अवधि में निजी प्रेक्टिस नहीं करेंगे व ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जो देश व प्रदेश की गरिमा एवं अखण्डता के विरुद्ध हो।
- 6- विदेश में अपना आचरण शालीनतापूर्वक बनाये रखेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(माधवी नागेन्द्र) 17/19

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

भोपाल दिनांक ०४ / 07 / 2019

कमांक 2220 / 2286 / 2019 / 1 / 59

प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, आयुष विभाग भोपाल।
  - 2- निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, आयुष विभाग भोपाल।
  - 3- आयुक्त, आयुष संचालनालय भोपाल।
  - 4- उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर उक्त आदेश बेवसाईड पर प्रदर्शित हेतु।
  - 5- सभागीय आयुष अधिकारी, ग्वालियर संभाग ग्वालियर।
  - 6- जिला आयुष अधिकारी, जिला ग्वालियर।
  - 7- प्राचार्य, शासकीय स्वशासी होम्योपैथी चिकित्सालय एवं महाविद्यालय ग्वालियर।
  - 8- डॉ.अभय कुमार जैन, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय ग्वालियर
  - 9- स्थापना लिपिक/आर्डर फोल्डर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
17/19

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग